



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)  
 18ए संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016  
**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)**  
**18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.**  
**Tel.: 011-2695168, 8860748880**  
**Email- mpquota@kvs.gov.in**  
**Website: www.kvsangathan.nic.in**

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक-17.08.2020

**सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश**


माननीय सांसद **Shri Karti P. Chidambaram** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 361 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020.21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	V.L MUGILAN MUTHAIH	VALLIYAPPAN, MOB- 8754744630	I	CECRI, KARAIKUDI
2	R. ADHISRI	RAMESH, MOB- 9092780303	I	CECRI, KARAIKUDI
3	T. ROHITH RAGAVENDAR	THIRUMALAI NATHAN, MOB- 9787521234,9047027484	I	CECRI, KARAIKUDI
4	B. ARUNNAN	BAKYARAJ, MOB- 9965745484,9965745473	I	CECRI, KARAIKUDI
5	S. NIRANJAN	SELVAM, MOB- 9443889117	VIII	CECRI, KARAIKUDI
6	S.P SUBIKSHA	DR. S. PRABHAVATHI, MOB- 8940076596	III	CECRI, KARAIKUDI
7	K. HARISH	KARTHIKEYAN, MOB- 9486560392	II	CECRI, KARAIKUDI
8	R. TARUN KARTHICK	RAJESH, MOB- 9902616872	I	CECRI, KARAIKUDI
9	S. SIVAJITH	SUBRAMANIA KURUKKAL, MOB- 9444866875	II	SIVAGANGA
10	P. GOGULSUNDAR	PURUSHOTHAMAU, MOB- 9865044854	I	SIVAGANGA

पिया ठाकुर  
 कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2020 है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

  
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Karti P. Chidambaram माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, **CHENNAI** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

✓